

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक/GWLLP 6358 / नगानि/2017

ग्वालियर, दिनांक 02.03.2020

प्रति,

1.

श्रीजी आवास विकास प्रायवेट लिमिटेड (दी वर्ड्स रेसीडेन्सी)
पार्टनर— श्री अनिल शर्मा, श्रीमती सन्तोष भरद्वाज पत्नि श्री विनोद भरद्वाज
श्री प्रशांत शर्मा आ0 श्री किशन कुमार शर्मा,
श्रीमती रचना गुप्ता पत्नि श्री संजय गुप्ता पुत्री श्री सतीश चन्द्र जैन
निवासी— मुरार ग्वालियर ग्वालियर

विषय— तहसील ग्वालियर के ग्राम सिरोल के सर्वे क्रमांक 450/1क, 451/2/2 रकबा 22050 वर्गमीटर भूमि पर नियोजन अनुज्ञा बाबत।

संदर्भ— आपका आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2020

संदर्भित आवेदन पत्र मे यथावर्णित विकास कार्यो को कियान्वित करने हेतु आपको एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29(3) के तहत धारा 30 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2(5)(क) एवं 27(1) एवं ग्वालियर विकास योजना 2021 के तहत ग्राम सिरोल के सर्वे क्रमांक 450/1क, 451/2/2 रकबा 22050 वर्गमीटर पर संशोधित आवासीय कालोनी अभिन्यास की स्वीकृति निम्नलिखित निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जाती है।

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन एवं शर्तें) नियम 1998 के कालोनाइजर लायसेंस जारी करने के पश्चात ही स्थल पर विकास अनुमति जारी की जावे। कालोनाइजर नियमों के पालन की समस्त जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की होगी।
2. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50 के अंतर्गत जल स्रोत से दूरी छोड़कर ही भवन निर्माण अनुज्ञा नगर निगम द्वारा दी जावे।
3. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-31 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 एवं ग्वालियर विकास योजना-2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार पार्किंग क्षेत्र सुनिश्चित करने पर ही नगर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा जारी की जावे।
4. नजूल अधिकारी ग्वालियर के अनापत्ति तीन पत्र क्रमांक 29/क्यू/नअ/2017-18/ ग्वालियर दिनांक 17.01.2018 एवं पत्र क्रमांक 41/क्यू/नअ/2017-18/बी-121 दिनांक 30.01.2018 में उक्त भूमि नजूल भूमि नहीं है तथा भू-स्वामी के स्वामित्व की है
5. पार्क हेतु आरक्षित क्षेत्र एवं मार्गों के दोनों ओर 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार (भूखण्डों के लिये वृक्षारोपण के अतिरिक्त) वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा तथा पार्क एवं मार्गों का विकास कर उसी नगर निगम ग्वालियर को निशुल्क हस्तांतरण करना होगा। पार्क में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
6. अनुमोदित मानचित्र को भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं माना जावे। भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. ग्वालियर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित मार्ग एवं अन्य मार्गों की चौड़ाई मानचित्र अनुसार रहेगी।
8. प्रत्येक 100 मीटर क्षेत्रफल के मान से भवन निर्माण पूर्ण होने पर एक वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
9. यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगी तथा प्रभावशील अवधि के अंदर आवेदन करने पर अधिकतम पांच वर्ष तक के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
10. विद्युत प्रवाह की व्यवस्था एम0पी0एम0के0वि0वि0 कारपोरेशन लिमि0 ग्वालियर के अनु करना होगी।



Signature valid
Digitally signed by VEERENDRA
KUMAR SHARMA
Date: 2020.03.02 18:20:27 IST

11. म0प्र0 नगर पालिका निगम/नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कालोनाइजर द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए 6 प्लॉट एवं कमजोर आय वर्ग के लिए 8 प्लॉट नियमानुसार प्लॉट का प्रस्ताव सुनिश्चित किया जावेगा।
12. विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सार्वजनिक सुविधायें जैसे- जल प्रदाय, मल प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी, पुलियों का निर्माण, विद्युत व्यवस्था आदि सुविधायें अभिन्यास में अंकित कर उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा।
13. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
14. प्रस्तावित विकास/निर्माण म0प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 82(क) के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिये आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
15. भूखण्ड पर निर्मित भवन में भूकम्प रोधी मानदण्डों प्राकृतिक परि-संकट उन्मुक्त क्षेत्रों में लागू नियमों एवं तकनीकों का पूर्ण रूप से पालन करते हुये, विस्तृत मानचित्र नगर निगम ग्वालियर से अनुमोदित कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
16. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 5 X 4 फिट साईज के बोर्ड पर भी मानचित्र अंकित कर उसे लगाया जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में तथा अन्य किसी उपयोग किये जाने पर यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि -

म0प्र0 भूराजस्व संहिता, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 एवं 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका, कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निबन्धन एवं शर्त नियम-1998 तथा अन्य अधिनियमों / नियमों के अंतर्गत कोई अनुमति /अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य हो तो वह लेना होगी तथा उसमें आरोपित शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।

संलग्न-

अनुमोदित अभिन्यास की प्रति।

**संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)**

ग्वालियर, दिनांक 02.03.2020

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी कालोनी प्रकोष्ठ, नगर पालिका निगम जिला ग्वालियर की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. तहसीलदार ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि पार्क एवं सड़क तथा सार्वजनिक सुविधाओं की भूमि का क्षेत्र खसरा फार्म में सार्वजनिक उपयोग हेतु अंकित करने एवं कालम 12 में मानचित्र अनुमोदित लिखने का कष्ट करें।

संलग्न-

अनुमोदित अभिन्यास की प्रति।



Signature valid

Digitally signed by VEERENDRA KUMAR SHARMA

Date: 2020.03.02 18:20:27 IST

नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)